



# e;/ i n's k i kQ's kuy , Xtkfeus' ku ckM] Hkksj ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

I gk; d chit çek.khdj .k vf/kdkjh] I gk; d I kf[ ; dh; vf/kdkjh ,oa vU; I ed{k i nks  
½ I epg&1 ds vrxiL Lukrdkjkj Lrj ½ grq I a Dr HkrhZ i jh{kk&2016

i jh{kk I pkyu ,oa HkrhZ fu; e i fLrdk

vkuykbLu vkonu&i =

भरने की प्रारम्भ तिथि	: 26.01.2016	भरने की अंतिम तिथि	: 24.02.2016
में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 26.01.2016	में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 29.02.2016
परीक्षा दिनांक व दिन	20-03-2016 jfookj		
i jh{kk 'kYd			
सीधी भर्ती/सीधी भर्ती बैकलांक/संविदा भर्ती के पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये ( केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये )		: - 500@&
सीधी भर्ती – बैकलांग बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये		: - 250@& कोई शुल्क नहीं	
ऑनलाईन आवेदन – पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क : - 70@& देय होगा।			

vkuykbLu i jh{kk i ) fr | e; | kj .kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
20.03.2016 रविवार	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)

fVII . kh %&

- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है ।
- vkuykbLu vkonu&i = Øekad ds }kjg gh fyf[kr i jh{kk grq vH; FkhZ viuk i dsk&i = i klr dj I drs gA vr% vkonu&i = Øekad vko'; d : i ls l kky dj j [kj ftI dh I eLr@ftEenkjh vkond dh gh gkxhA
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में (01)ernkrk igpku i = (02) i udkMz (03) vklkj dkmz (04) Mk; foax yk; I s (05) vdl iphi e; QkVkskQ (06) cld i kl cld e; QkVkskQ (07) i kl i kVZ es I s dkbl , d vFkok ml ds }kjg vfrfjDr : i ls p; fur vU; फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा । मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में समिलित होने से विचित किया जाएगा ।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप-4) में विभिन्न विभागों के पृथक – पृथक पदों हेतु पृथक – पृथक आवेदन पत्र संबंधित विभागों को प्रेषित करना होगा । आवेदक द्वारा मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।



e/; i n's k i kQ's kuy , Xtkfeus'ku ckM] Hkksj ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

I gk; d cht çek.khdj.k vf/kdkjh] I gk; d I kf[; dh; vf/kdkjh , oavU; I ed{k i nka  
½ I eyg&1 ds vrxt Lukrdkjkj Lrj ½ grq I a Ør HkrhZ i jh{k&2016

fo"k; &I ph

I - Øa	v/; k;	fooj .k	i "B Ø-
1.	1	सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली( समूह परीक्षा हेतु )	3&13
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	14&30
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	31&49
4	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	50
5.	i k: i &1	प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	51
6.	i k: i &2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	52
7	i k: i &3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	53
8	i k: i &4	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे—बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	54
9	i k: i &5	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	55

v/; k; & 01  
I kekJ; c'kkI u foHkkx  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

fu; e

**1- I f{klr uke rFkk ckjkk &**

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।  
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2- i fjHkk"kk, ॥ & इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –**

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ड.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (झ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

- (ट) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
- 3- **yklxw gkuk %&** (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।
- (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।
- 4- **fokkkxh; Hkj rh fu; ek dks eku; rk cnu fd; k tkuk &** वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।
- 5- **vgldkj|| vyd &** (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने नियम 7 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।
- (2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि –
- (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है;
  - (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
  - (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो;
  - और
  - (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

## 6- foLrkj &

- (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें नियम 6 में यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।
- (2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7- I sk | eŋ & I keklu; ç'kkI u foHkkx] e=ky; oYyHk Hkou] Hkki ky ds | ʃkšku i f j i = Øekad 74] Hkki ky fnukd 16 Qjojh 2015 ds vuñ kj dñMdk 7 | sk | eŋ eɪ | ʃkšku fd; k x; k gA विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके कि लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् –

rkfydk

Ø-	I sk   eŋ	i n dk   ñx@i nuke	Jsk
1.	समूह—एक	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा—2016 ( समूह—1 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर )	तृतीय श्रेणी

8- विभाग/उपक्रमों के मांग पत्र – सभी विभाग/उपक्रम ऐसे समस्त पदों के लिए जो कि भरे जाने हैं तथा जिनके आगामी भरती वर्ष में रिक्त होने की सभावना है, मांग पत्र मण्डल को प्रत्येक भरती वर्ष के 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भेजेंगें।

- (2) विभाग/उपक्रम मण्डल को मांगपत्र निम्नलिखित जानकारी के साथ भेजेंगे : –
  - (क) मण्डल के मांगपत्र में भरे जाने वाले पदों के लिए प्रस्ताव;
  - (ख) परीक्षा के लिए संबंधित नोडल अधिकारी के पद का नाम तथा पता;
  - (ग) राजपत्र में प्रकाशित भरती नियम की एक प्रति;
  - (घ) आरक्षित वर्ग के पदों का विवरण दर्शाने वाली तालिका।

9- ijh{k dk vk; kstu & ऊपर नियम 7 में उल्लिखित सेवा समूह – 1 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् –

rkfydk

आफलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

I - Ø-	I eŋ	ç'u i = dñ dñy   ñ; k	dñy vd	ç'u i = dk fooj.k	vd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एक	02	200	½ सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान ½ संबंधित विषय	100 100

I - Ø-	I eng	ç'u i = dh dy l f; k	dy vd	ç'u i = dk fooj .k	vd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एक	01	200	½ सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	100
				½ संबंधित विषय	100

## 10- i k=rk dh 'krñ ; Fkk 'k¶kf.kd@rduhdh@0; koi kf; d vgrk, a %&

(1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित 'k¶kf.kd vgrk अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

I eng & , d

vH; ffk;k us foHkkxksa ds I cf/kr HkrhZ fu; eka ds v/khu fdI h Hkh fo"k; eka Lukrdkjkj mi kf/k mUkh.kl dh gkA

(2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

13½ vkl; q I helk & उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु—सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु—सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के pkyw o"kl dh 1 tuojh की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु—सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

I kekU; ç'kkI u foHkkx] e=ky; oYyHk Hkou] HkksI ky ds I aksku i fj i = Øekd 74] HkksI ky fnukd 16 Ojojh 2015 ds vuq kj dfMd 10 e mi fu; e&03 ds i 'pk~fuEufyf[kr mi fu; e vr%Lfkfi r fd; k x; k g tks fuEukuq kj gS &

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल संलग्न परिषिष्ठ (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल कर सकेगा।

(ख) कुछ विभागों के पदों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी स्वरूप की दक्षता चाही जाती है जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होता है उदाहरणस्वरूप स्टेनोग्राफर, स्टेनोटायपिस्ट आदि, ऐसे मामलों में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आवश्यकता के अनुरूप यह निर्णय करेगा कि परीक्षा में इस प्रकार की तकनीकी दक्षता का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त स्तर की परीक्षा आयोजित की जा सके व उसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक नियत किये जाकर जो पात्रता में अंक प्राप्त होंगे वे अंक प्रथम चरण की परीक्षा में जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

## 11- vH; fFk; k }jk k vkonu cLrt fd; k tkuk &

- (1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाईन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिह्नित कर सकेगा।
- (4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक्-पृथक् उपस्थिति होना होगा।

## 12- e.My }jk i jh{kk i fj .kkek d h ?kk;k. kk vkJ | Qy vH; fFk; k d h | p h tkj h djuk

- (1) मण्डल, परीक्षा के चालू वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने परिणाम घोषित कर देगा और गुणागुण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा नियम 6 में तथा वर्णित समूहों के लिए विभागों के अधिमान भी जारी करेगा।
- (2) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।

- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (4) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (5) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक—पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (6) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सेनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सेनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (7) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

### 13- fu; fDr ds fy, e. My dI vud k, &

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएँ पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
- (4) यदि किसी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अवधि तक रिक्तियों की जानकारी नहीं दी गई हो तो संबंधित समूहों के अंतर्गत ऐसी उपलब्ध अनुमानित रिक्तियों की जानकारी जो वर्ष के दौरान वास्तविक रिक्तियों में परिवर्तित होंगी, विभागों द्वारा मण्डल को किसी भी स्थिति में परीक्षा वर्ष के 15 जुलाई तक उपलब्ध करानी होगी। शेष अभ्यर्थियों से जिनके नाम अर्हता सूची में आए हैं, उनके विभागों की प्राथमिकता पूछी जाएगी जिससे मण्डल द्वारा उनके नामों को योग्यता सूची के आधार पर क्रमानुसार संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जा सके। मण्डल, विभागों को परीक्षा वर्ष के 15 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण

करने के निर्देश देगा। अभ्यर्थी उनके आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक उनके चाहे गए आवंटित विभाग में अपना पदभार ग्रहण करने के दायित्वाधीन होंगे। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करना है तो संबंधित परीक्षा में उसका चयन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

#### 14- | Qy vH; ffk; k; dh vfre | ph; dh fof/kekU; rk dh vof/k &

- (1) किसी भर्ती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से 18 मास के लिए विधिमान्य होगी किन्तु आगामी वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् अविधिमान्य हो जाएगी।
- (2) मण्डल, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व अर्थात् जनवरी मास तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा

परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि मण्डल ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

- (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा व्यापम की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत व्यापम के माध्यम से चयन सूची जानी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

#### 15- çek.k i =k; dk | R; ki u rFkk fu; fDr dh cfØ; k &

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अहताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा। यदि अभ्यर्थियों के लिए कोई foHkkxh; ij{k{k आयोजित किए जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।

#### 16- vkj {k. k &

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा –

अनुसूचित जनजाति	–	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	–	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	–	14 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

#### 17. frt vkj {k. k &

- (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
- (ख) निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कुल 6 प्रतिशत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित के लिए 2-2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।  
परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।
- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।
- (3) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।
- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

## 17- vkonu 'kʃd &

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

## 18- ; k=k HkÜkk &

- (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी अपने निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र चुनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,

अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी परीक्षार्थी संलग्न i&#1088; i&#1085; में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं।

#### 19- i j h{kk d{lln} &

इन नियमों के जारी किए जाने की तारीख से सरकार के समस्त पदों की भरती जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते हैं, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मण्डल द्वारा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाएँ मण्डल के परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकेंगी। यदि ऐसे केन्द्र पर संघ लोक सेवा आयोग, मण्डल की परीक्षाओं की तारीख पर अपनी परीक्षाएँ करवा रहा हो तो मण्डल का ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। “इसके अतिरिक्त उक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ मण्डल की परीक्षाओं के कार्य संपादन हेतु भी ली जा सकेंगी। अतः उपरोक्त कर्मचारीवृन्द की सेवाएँ अत्यावश्यक सेवाएँ होंगी।”

#### 20- fuj g{lk &

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

## 21- vH; FkhZ dH ekufI d vky 'kkjhfj d fLFkfr &

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

## 22- vkonuk; dk jnñ fd; k tkuk &

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

## 23- vH; FkhZ }kjk vkj {k.k dk nkok &

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्यिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

## 24- vH; ffkirk jnñ djus ds fy, vklkj &

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने –

- (क) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों;
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधान के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किय हो;
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (झ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में इस प्रकार दुर्घटवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

## 25- fu%kDrtukl ds fy; s vkj f{kr i nk;d h i frl &

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र. /एक भोपाल दिनांक 30.06.2014 के अनुसार निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02-02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए गए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थिबाधित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टीकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

# V/; k; & 02

I gk; d ch̄t çek.khdj.k vf/kdkjh] I gk; d I kf[; dh; vf/kdkjh ,oa vU; I ed{k i nka  
 ¼ I eŋ&1 ds vrxt̄ Lukrdkjk Lrj ½ grq I a Ør HkrhZ i jh{k&2015

HkrhZ dk çdkj	çkFfedrk Øe grq foHkkx dk uke] ftueg i n fJDr ḡ	i n	Jskhokj mi yC/k i n I d; k				
			vuk-	vtk-	vttk	vfi o	dly
I h/kh HkrhZ	1. कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी मेडिकल सोशल वर्कर	02	01	01	00	04
	2. कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी सहायक रसायनज्ञ	02	01	01	00	04
	3. कार्यालय मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल (म.प्र.)	प्रबंधक—पर्यावरण	01	00	00	00	01
	4. कार्यालय संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)	वरिष्ठ मार्गदर्शक माइक्रोफोटोग्राफिस्ट सार्टर	04	00	00	00	04
	5. कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल (म.प्र.)	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी बीज रोग विशेषज्ञ	31	04	17	04	56
	6. कार्यालय राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	01	00	00	00	01
	7. कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल (म.प्र.)	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	02	00	00	00	02
	8. जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)	कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	10	03	04	03	20
	9. कार्यालय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	सहायक महाप्रबंधक /जिला प्रबंधक उप महाप्रबंधक /क्षेत्रीय प्रबंधक	10	03	04	03	20
	10. कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)						
I h/kh HkrhZ cdykk	i. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	मेडिकल सोशल वर्कर	01	00	00	00	01
	ii. महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	01	00	00	00	01
	iii. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	00	00	00	01
	iv. कार्यालय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)	लाइब्रेरियन कैटलॉगर लाइब्रेरी असिस्टेंट	01	00	00	00	01
	11. कार्यालय म.प्र.शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल (म.प्र.)	अनुवादक	01	00	02	01	04
	योग		79	15	32	13	139
	12. कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	00	00	00	04	04
	13. कार्यालय संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)	वरिष्ठ मार्गदर्शक पर्यवेक्षक	00	00	01	01	02
	14. कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल (म.प्र.)	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	00	00	01	00	01
	योग		00	00	03	05	08
I fonk HkrhZ	15. कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)						
	i. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	मेडिकल सोशल वर्कर (पीएमआर)	00	00	01	00	01
	योग		00	00	01	00	01
	समस्त प्रकार के भर्ती पदों का महायोग		79	15	36	18	148

# i nks dk , dtkbz fooj . k

Ø-	i n dk uke	I h/kh HkrhZ	I h/kh HkrhZ c&dyklik	I fonk HkrhZ	dly
1.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	11	04	00	015
2.	लाइब्रेरियन	01	00	00	001
3.	मेडिकल सोशल वर्कर	02	00	00	002
4.	सहायक रसायनज्ञ	09	00	00	009
5.	प्रबंधक—पर्यावरण	01	00	00	001
6.	वरिष्ठ मार्गदर्शक	04	02	00	006
7.	पर्यवेक्षक	00	01	00	001
8.	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	56	00	00	056
9.	बीज रोग विशेषज्ञ	01	00	00	001
10.	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	02	01	00	003
11.	कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	20	00	00	020
12.	सहायक महाप्रबंधक /जिला प्रबंधक	20	00	00	020
13.	उप महाप्रबंधक /क्षेत्रीय प्रबंधक	03	00	00	003
14.	मेडिकल सोशल वर्कर (पीएमआर)	00	00	01	001
15.	कैटलॉगर	01	00	00	001
16.	सार्टर	02	00	00	002
17.	लाइब्रेरी असिस्टेंट	01	00	00	001
18.	माइक्रोफोटोग्राफिस्ट	01	00	00	001
19.	अनुवादक	04	00	00	004
	योग	139	08	01	148

e-i z ds fo'ksk vkfne tutkfr I emk; csk] I gkfj ; k , oa Hkkfj ; k vuq fpr tutkfr ds  
 vH; fFk; k dks vkonu i = i Lrqr djus ds fy; s foHkkxk dh I iph %&

संक्र.	विभाग का नाम	अकार्यपालिक पदों का विवरण
1	संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी मेडिकल सोशल वर्कर
2	संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश 29 ए खनिज भवन अरेरा हिल्स, भोपाल, (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी सहायक रसायनज्ञ
3	उपसचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल (म.प्र.)	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
4	कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)	
i	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	मेडिकल सोशल वर्कर
ii	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा	लाइब्रेरियन कैटलॉगर लाइब्रेरी असिस्टेंट

**i jh{k k e i zu i = ds [k. M c ds fo"k; p; u gsrq | ph  
fo"k; okj @i nokj @foHkkxokj**

I - Ø-	Lukrdkkrj ds fo"k;	i n dk uke	foHkkx dk uke
01	वाणिज्य	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, भोपाल महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.) वरिष्ठ अनुसंधान सहायक
02	सांख्यिकीय	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, भोपाल संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) वरिष्ठ अनुसंधान सहायक
03	अर्थशास्त्र	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, भोपाल संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) वरिष्ठ अनुसंधान सहायक
04	समाजशास्त्र	मेडिकल सोशल वर्कर  मेडिकल सोशल वर्कर (पीएमआर)	संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, भोपाल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) वरिष्ठ अनुसंधान सहायक

I - Ø-	LukrdkRj ds fo"k;	in dk uke	foHkkx dk uke
05	गणित	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) वरिष्ठ अनुसंधान सहायक
06	अकार्बनिक रसायन शास्त्र	सहायक रसायनज्ञ	नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल (म.प्र.) संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)
07	विश्लेषणात्तम रसायनशास्त्र	सहायक रसायनज्ञ	संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)
08	प्राचीन भारतीय इतिहास	वरिष्ठ मार्गदर्शक	संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)
09	डिप्लोमा इन स्यूजियोलॉजी	वरिष्ठ मार्गदर्शक	संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)
10	रसायनशास्त्र	माइक्रोफोटोग्राफिस्ट	संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)
11	भौतिक शास्त्र	माइक्रोफोटोग्राफिस्ट	संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)
12	नगरीय भूगोल	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल (म.प्र.)
13	हिन्दी	अनुवादक	म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल (म.प्र.)
14	अंग्रेजी	अनुवादक	म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल (म.प्र.)
15	एम.कॉम	कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)
16	एम.लिब / एम.लिब (ISC)	लाइब्रेरियन  लाइब्रेरी असिस्टेंट  कैटलॉगर	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)  श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)  श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
17	मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट MBA	कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल  सहायक महाप्रबंधक / जिला प्रबंधक  उप महाप्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक	जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)  मध्यप्रदेश स्टेट सिविल स्प्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)  मध्यप्रदेश स्टेट सिविल स्प्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)
18	डेमोग्राफी	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल (म.प्र.)
19	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट	कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)
20	प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति	पर्यवेक्षक	संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)
21	भारतीय इतिहास (आधुनिक या मध्यकालीन)	सार्टर	संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)
22	किसी भी विषय से स्नातकोत्तर	प्रबंधक पर्यावरण	मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल (म.प्र.)
23	एम.ए.	कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

I - Ø-	LukrdkRrj ds fo"k;	i n dk uke	foHkkx dk uke
24	कृषि – प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जेनटिक्स	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल (म.प्र.)
25	कृषि – एग्रोनॉमी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल (म.प्र.)
26	कृषि – पादप कार्यिकी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल (म.प्र.)
27	कृषि – प्लांट पैथोलॉजी	बीज रोग विशेषज्ञ	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल (म.प्र.)
28	सी.ए.	कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	जवाहर नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

# I h/kh HkrhZ ds i nka dk oxbkj fooj .k

## 1. dk; ky; I pkyd deyk ug: fpfdRl ky; xJ jkgr] Hkkj ky ye-c-h

dk; ky; I pkyd deyk ug: fpfdRl ky; xJ jkgr] Hkkj ky ye-c-h से प्राप्त पत्र क्रमांक /2065/संचा./ क.ने.चित्र/गै.रा./एन.जी./2014 भोपाल, दिनांक 23.09.2014 एवं पत्र क्रमांक/2011/संचा./ क.ने.चित्र/गै.रा./एन.जी./2014 भोपाल, दिनांक 12.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{k.k rkfydk

### a. I h/kh HkrhZ & I gk; d I kf[; dh; vf/kdkjh & dgy 04 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	–	–	–	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	–	–	–	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	; kx	04	–	–	–	04	

orueku & 9300&34800 \$ 3600 xM is

' ksf.kd ; kx; rk & वाणिज्य, सांख्यिकीय, अर्थशास्त्र विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि

### b. I h/kh HkrhZ & esMdy I ksy odj & dgy 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	; kx	01	–	–	–	01	

orueku & 5200&20200 \$ 2800 xM is

' ksf.kd ; kx; rk & समाजशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि

**2. dk; kly; I pkyd Hkkfedh rFkk [kfudel e/; çns'k Hkksiky ½e-ç-½**

dk; kly; I pkyd Hkkfedh rFkk [kfudel e/; çns'k Hkksiky ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक/20672/स्था.1/न.क्र.202/2002/2014 दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

**vkj{.k rkfydk**

**a. I h/kh HkrhZ & I gk; d I kf[; dh vf/kdkjh & dly 04 in**

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	—	—	02	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	01	&	&	04	

orueku & 9300&34800\$3600 xM&is

'kxkf.kd ; kx; rk & fdI h ekU; rk ckIr fo' ofo | ky; Is I kf[; dh; vFkok xf.kr vFkok vFkL kkL= ea U; ure f}rh; Js kh Is Lukrdkukj mi kf/k

**b. I h/kh HkrhZ & I gk; d jI k; uK & dly 09 in**

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	02	—	—	05	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; kx	07	02	&	&	09	

orueku & 5200&20200\$2800 xM&is

'kxkf.kd ; kx; rk & fdI h ekU; rk ckIr fo' ofo | ky; Is vdkctud vFkok fo' ysk. kkRed jI k; u' kkL= Is Lukrdkukj mi kf/k

### 3. dk; kly; e/; çns' k jkM Møgyi eV dki kjs'ku fy-] Hkksí ky ¼e-ç-½

dk; kly; e/; çns' k jkM Møgyi eV dki kjs'ku fy-] Hkksí ky ¼e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक /7502/स्था./ एम.पी.आर.डी.सी./ 303/2014 दिनांक 19.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

vkj{.k rkfydk

I h/kh HkrhZ & çcalkd & i ; kbj.k & dy 01 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 8000&275&13500 ¼ kpk orueku½

'kqkf.kd ; kx; rk & iEke Js kh ea Lukrdkjkj mikf/k ds I kfkk ¼v½ EIA/EMP ¼ck½ R&R rFkk I kekftd dk; l {ks= ea 03 o"kl dk vuqko A ¼ ½ i ; kbj.k rFkk ou vuqkk@vupfr ¼n½ MKDVjV mikf/k rFkk fons kh I gk; rk i klr ifj; kstukvk, oR & R Is I cf/kr ifronu rskj djus okys dks i kFfedrk nh tkoskh A

### 4. dk; kly; I pkyuky; i jkrRo] vflkys[kkxkj , oa I axgky; ] Hkksí ky ¼e-ç-½

dk; kly; I pkyuky; i jkrRo] vflkys[kkxkj , oa I axgky; ] Hkksí ky ¼ e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक 9522 भोपाल, दिनांक 06/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{.k rkfydk

a. I h/kh HkrhZ & ofj"B ekxh'kd & dy 04 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	—	—	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	01	—	—	04	

वेतनमान — 9300 — 34800 + 3600 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता — किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा इन स्थूजियोलॉजी अथवा समकक्ष

b. I h/kh HkrhZ & ekbØkQkV/kxtfQLV & dy 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

वेतनमान — 9300 — 34800 + 3600 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता — 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि । 2. मान्यता प्राप्त संस्था से माइक्रोफोटोग्राफी में तीन वर्ष का अनुभव।

c. | h/kh HkrhZ & | kVj & dly 02 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

वेतनमान — 5200 — 20200 + 2100 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता — 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय इतिहास (आधुनिक या मध्यकालीन) से स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष ।  
2. उसे अंग्रेजी/हिन्दी तथा फारसी/मराठी/उर्दू तथा अरबी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए।

5- dk; kly; e/; cn'k jkT; cht çek.khdj.k | 1Fkk] Hkkj ky 1e-c-½

dk; kly; e/; cn'k jkT; cht çek.khdj.k | 1Fkk] ch&23] vklQI dklyDI ] xkfe uxj]

Hkkj ky 1e-c-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक /4944/स्था./एम.पी.ऑन./440/2012-14 भोपाल, दिनांक 06/09/2012 एवं पत्र क्रमांक /5710/स्था./लि. वर्ग/नियु./416/2010-14 भोपाल, दिनांक 24/09/2012 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है —

vkj{k.k rkfydk

a. | h/kh HkrhZ & | gk; d cht çek.khdj.k vf/kdkjh & dly 56 in

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निश्चितजनों की dly 03 fJfDr; kae   s 01 अस्थिबाधित, 02 श्रवणबाधित निश्चितजन के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निश्चितजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	19	09	02	01	31	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	05	01	01	17	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	—	—	04	
	; kx	35	16	03	02	56	

orueku & 9300 & 34800 \$ 3200 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & Nfk'k Lukrdkjkj fdI h , d fo"k; e 101½ lykA/ chfMx , .M tufVDI 12½ , xkuklh 13½ i kni dlf; lhl

b. | h/kh HkrhZ & cht jkx fo'kskK & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300 & 34800 \$ 3200 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & Nfk'k Lukrdkjkj 14ykA/ i Fkkskltth½

**6- dk; kly; jkt; ; kstuk vk; kx e/; çns k] Hkki ky ½e-ç-½**

dk; kly; jkt; ; kstuk vk; kx e/; çns k] Hkki ky ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक /1296/2014/रा.यो.

आ./प्रशा.-1 दिनांक 29.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

**vkj{.k rkfydk**

I h/kh HkrhZ & I gk; d I kf[; dh; vf/kdkjh & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 9300 & 34800 \$ 3600 xM is

'kdkf.kd ; kx; rk & vFk'kkL=] I kf[; dh] xf.kr] okf.kT; ; k I ekt'kkL= eaf}rh; Js kh Lukrdkjkj mi kf/k

**7- dk; kly; uxj rkfk xke fuos k] Hkki ky ½e-ç-½**

dk; kly; uxj rkfk xke fuos k] Hkki ky ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक /4868/स्था.

/नग्रानि/2014 दिनांक 27.10.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

**vkj{.k rkfydk**

I h/kh HkrhZ & ofj "B vuqj kku I gk; d & dly 02 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	–	–	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	; kx	01	01	&	&	02	

orueku & 9300 & 34800 \$ 3600 xM is

'kdkf.kd ; kx; rk & I kf[; dh@vFk'kkL=@MekxtQh@okf.kT; @xf.kr@uxjh; Hkkiy@I ekt'kkL= eaf}rh; Js kh dh Lukrdkjkj mi kf/k] mu mEehnokjk dks vf/kekU; rk nh tk, xh ftUg@ I kf[; dh ; k uxj fuos k] xBu ds dk; Z dk vuqjko gkA

## 8- tokgyky ug: निर्दिष्ट वर्ग का लिये चयनित होने वाली जानकारी

tokgyky ug: निर्दिष्ट वर्ग का लिये चयनित होने वाली जानकारी निम्नानुसार है –  
 2/1/2014/2246–ए दिनांक 22/11/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

### विकलांग

I h/kh HkrhZ & dk; kly; v/kh{kd l g ys[kki ky & dly 20 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	03	—	—	10	निशक्तजनों की dly 03 fffDr; kae I s 01 पद अस्थिबाधित, 01 पद श्रवणबाधित एवं 01 पद दृष्टिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	—	—	03	
	; kx	14	06	&	&	20	

orueku & 9300&34800\$3600 xM is  
 'kxkf.kd ; kx; rk & ekLvj bu fctud eustew@ikLV xstqV fMykek bu fctud eustew@, e-, -@, e-dkk@-I h, - vFkok 2- ch-dkk@-ch, -@cbyj bu eustew rFkk tfu; d ,dkm@ ds dk; l dk 5 o"kk dk vu@ko ; k l hfu; j Dyd@ ds in i j ys[kk l cdk dk; l dk vu@ko gkA

## 9- dk; kly; e/; çns k LVV fl foy l lykbz dkj i kjsku fyfeVM] Hkksj ky विकलांग

dk; kly; e/; çns k LVV fl foy l lykbz dkj i kjsku fyfeVM] Hkksj ky विकलांग से प्राप्त पत्र क्रमांक स्था./2014/3166, भोपाल, दिनांक 09/09/2014 एवं 3615, भोपाल, दिनांक 22.11.14 एवं पत्र क्रमांक/स्था./2014/3698 भोपाल दिनांक 10/12/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

### विकलांग

a. I h/kh HkrhZ & l gk; d egkçca@ftyk çca@kd & dly 20 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	03	—	—	10	निशक्तजनों की dly 01 fffDr; kae I s 01 पद अस्थिबाधित, 01 पद श्रवणबाधित एवं 01 पद दृष्टिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	—	—	03	
	; kx	14	06	&	&	20	

orueku & 15600&39100\$5400 xM is  
 'kxkf.kd ; kx; rk & fdI h Hkh l dk; e@50 çfr'kr vdk@ I s Lukrd , o@ , e-ch, -

b. I h/kh HkrhZ /mi egkçca@kd@{k=; çca@kd & dly 03 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 15600&39100\$6600 xM is  
 'kxkf.kd ; kx; rk & fdI h Hkh l dk; e@50 çfr'kr vdk@ I s Lukrd , o@ , e-ch, - ds l kfk rhu o"kl dk vu@ko

10- dk; kly; I pkyuky; fpfdRI k f' k{kk] Hkksiy ½e-ç-½

dk; kly; I pkyuky; fpfdRI k f' k{kk] Hkksiy ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक 536/स्था./अराज/2014 भोपाल, दिनांक 27/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

i. xk/kh fpfdRI k egkfo | ky; ] Hkksiy ½e-ç-½

vkj{k.k rkfydk

I h/kh HkrhZ ½efMdy I ksy odj½ & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & I kf'kkL= eaf}rh; Js kh e Lukrdkjkj mi kf/kA

ii. egkRek xk/kh Lefr fpfdRI k egkfo | ky; ] bUnkj ½e-ç-½

vkj{k.k rkfydk

I h/kh HkrhZ & I gk; d I kf[; dh; vf/kdkjh & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku &

'kxkf.kd ; kx; rk & okf.kT; ] I kf[; dh; vf/kdkjh & xFkLkkL= xf.kr fo"k; eaf}rh; Js kh e Lukrdkjkj A

iii. usktih I kkk"kpUnz ckj esMdy dkyst] tcyij ½e-ç-½

I h/kh HkrhZ ½l gk; d I kf[; dh; vf/kdkjh & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 9300&34800\$3600 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & I kf[; dh; vf/kdkjh & xFkLkkL= xf.kr fo"k; ds I kf okf.kT; ydj f}rh; Js kh e Lukrdkjkj A

iv. dk; kly; ' ; ke ' kkg fpfdRI k egkfo | ky; ] jhok ½-e-ç-½

a. I h/kh Hkrh½ ykbcfj ; u½ & dy 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 9300&34800&3200 xM is

' klf.kd ; k; rk& , e-fyc- e 55 çfr'kr ds I kf mÜkh.kl gh mEhnokj vkonu dj I dx A NEFT Exam ) SLET.  
ET. Ph.D. M.Phil in library Science i h, p-Mh- mEhnokj dks ckFkfedrk nh tk; xh A

b. I h/kh Hkrh½ dykjkj½ & dy 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is

' klf.kd ; k; rk& , e-fyc- vkbz, I -I h- , oafdl h i frdky; e rduhdh dk; I djus dk 3 o"kl dk vukko gkuk pkfg, A

c. I h/kh Hkrh½ ykbcfj h vfl LV½ & dy 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is

' klf.kd ; k; rk& , e-fyc- vkbz, I -I h- , oafdl h i frdky; e rduhdh dk; I djus dk 3 o"kl dk vukko gkuk pkfg, A

11- dk; kly; e-ç- 'kkI u fof/k vkj fo/kk; h dk; l foHkkx] Hkksiy ½e-ç-½ Okby 29

dk; kly; e-ç- 'kkI u fof/k vkj fo/kk; h dk; l foHkkx] Hkksiy ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक /4657/21—अ(स्था.) भोपाल, दिनांक 25/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj {k.k rkfydk

I h/kh HkrhZ & vupknd & dly 04 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	04	&	&	&	04	

orueku & 9300&34800\$3200 XM&is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1- fof/k Lukrd

2- , e-, - fgUnh vFkok vaxth rFkk ch-, - e fgUnh ; k vaxth I kfgr;

3- fgUnh I s vaxth vFkok vaxth I s fgUnh e vupkn ds dk; l dk Kku ; k vupkn e fMlykek

4- dEI; Mj i j dk; l djus dk Kku vko'; d A

## सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों का वर्गवार विवरण

**12- dk; kly; vkkfkd , oa | kf[; dh | pkyuky; ] Hkki ky ¼-e-ç-½**

dk; kly; vkkfkd , oa | kf[; dh | pkyuky; ] Hkki ky ¼-e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक 5299 भोपाल, दिनांक 06/08/2014 एवं पत्र क्रमांक /5708/2014/आसांसं/1-प्रशा./अ-1 भोपाल, दिनांक 15/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{.k rkfydk

| h/kh HkrhZ cdyklik & | gk; d | kf[; dh vf/kdkjh & dly 04 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	—	—	04	
	; kx	03	01	—	—	04	

वेतनमान – 9300 – 34800 + 3600 ग्रेड पे

\* ksf.kd ; kx; rk & क. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाज शास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा कम्प्यूटर प्रचालन में स्नातक उपाधि या पी.जी.डी.सी.ए. अथवा समकक्ष अर्हता। ख. क्षेत्रीय नियोजन एवं आर्थिक विकास में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को प्राथमिकता दी जायेगी।

**13- dk; kly; i jkrRo] vfkys[kkxkj , oa | xgky; ] Hkki ky ¼-e-ç-½**

dk; kly; i jkrRo] vfkys[kkxkj , oa | xgky; ] Hkki ky ¼-e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक 9522 भोपाल, दिनांक 06/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{.k rkfydk

a. | h/kh HkrhZ cdyklik & ofj "B ekxh'kd & dly 02 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	02	—	—	—	02	

वेतनमान – 9300 – 34800 + 3600 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – किसी मान्यता विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी अथवा समकक्ष

b. | h/kh HkrhZ cdyklik & i; bkd & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

वेतनमान – 9300 – 34800 + 3600 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – किसी मान्यता विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि

#### 14- dk; kly; uxj rFkk xke fuos k] Hkksiy ½e-ç-½

dk; kly; uxj rFkk xke fuos k] Hkksiy ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक /4868/स्था. /नगरानि/2014 दिनांक 27.10.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

#### vkj{k.k rkfydk

I h/kh HkrhZ cdykk & ofj "B vuq ikku I gk; d & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 9300 & 34800 \$ 3600 xM is

'kQkf.kd ; kx; rk & I kf[; dh@vFkZ kL=@MekxkQh@okf.kT; @xf.kr@uxjh; Hkksiy@I ekt'kkL= eif}rh; Js kh  
dh LukrdkUkj mi kf/k] mu mEehnokjk dk vf/kekU; rk nh tk, xh] ftUg; I kf[; dh ; k uxj  
fuos k] xBu ds dk; Z dk vuqko gkA

## संविदा भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

15- dk; kly; I pkyuky; fpfdRI k f' k{kk] Hkksj ky ½e-ç-½

dk; kly; I pkyuky; fpfdRI k f' k{kk] Hkksj ky ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक 536/स्था./अराज/2014 भोपाल, दिनांक 27/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

xk/kh fpfdRI k egkfo | ky; ] Hkksj ky ½e-ç-½

vkj {k. k rkfydk

I fonk HkrhZ cdykk ½efMdy I ksy odj i h-, e-vkj-½ & dgy 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 25875@&

'kxkf.kd ; kx; rk & I ekt'kkL= eaf}rh; Js kh e Lukrdkñkj mi kf/kA

v/; k; & 3 -  
 e/; i n's k 0; kol kf; d i j h{kk e. My] Hkkj ky  
 - i j h{kk I pkyu fu; e , oa fun's k -  
[k. M&V]

- 3-1**
- (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH; FkhZ 'k\$kf.kd vgkvvks dk HkyhHkkkr v/; ; u mi j klr gh vkonu i = Hkj A
  - (ii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक विभाग/कार्यालय के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
  - (iii) vkond dks fofHklu foHkkxks ds i nka g\$g , d gh vkonu i = i Lr djuk vfuok; Z gA i nka dh I q; k ea vko'; drkuq kj deh ; k of) dh tk I drh gA
- 3-2**
- (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये।
  - (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
  - (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
  - (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
  - (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 3-3 i j h{kk gky e y s tkus g\$g vko'; d I kexh %&**
- (i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश—पत्र।
  - (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।
  - (ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।
  - (iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह—आई.डी. के रूप

में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

3-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beeper), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3-5 **ukxfjdrk , oLFkkbz fuokl h ds l cdk ei %&**

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :-  
(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या  
(ख) आवेदक को सिक्खिम की प्रजा होना चाहिये, या  
(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या  
(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :-

- उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण—पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण—पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
  - ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
  - ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
  - उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।
- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण—पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
  - ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

3-6 **e;/ in'k ds LFkkbz fuokl h vkondu ds fy, vk; q | hek %&**

- (i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 तक 2016 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :—

संक्र.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग—शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

3-7 e/; i n's k ds LFkkbl fuokl h vkondka dks i kki lgu Lo: i nh tkus okyh NiV %&

- (i) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ii) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3-7 e/; i n's k ds LFkkbl fuokl h vkondka dh vk; q I hek ds I cak e; vU; fooj .k %&

- (i) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(ii) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

Li "Vhdj.k %& शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(iii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

Li "Vhdj.k %& शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
  - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
  - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं ।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्विटों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345—4005—सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- Vhi % (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग—पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 1/2% यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु—सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु—सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

### 3-8 fyf[kr i j h[kk e fu% kDrtu vH; ffk;k ds fy, mi yC/k I fo/kk, j %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ—8—2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :—

- (i) ; g I fo/kk fuEufyf[kr vH; ffk;k ds i nku dh tkoskh %&
1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
  2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
  3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
  4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
  5. निःशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) **y[ku fyfi d dh | fo/kk %&**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2) घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1) घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) **y[ku fyfi d dh fu; fDr grq 'kr%&**

- लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
- आफलाईन परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 01 दिन पूर्व परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- आनलाईन परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 07 दिन सप्ताह पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) **bI ds vfrfjDr i nk; dh tkus okyh | fo/kk, W%&**

- परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

3-9 **i ds k&i = i klr djus dh ifØ; k %&**

ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश—पत्र मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

**ukW&** प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ॲनलाईन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3-10 **i jhkk i ds k&i = (Test Admit Card) :-**

- नियमानुसार मान्य ॲनलाईन आवेदन—पत्रों के प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध करायें जायेंगे।
- मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो—भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

- (iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iv) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

### 3-11 ~~eW; kdu i ) fr %&~~

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

### 3-12 =~~fVi wkl i t u] ml dk fuj Lrhdj .k , oacnys ea fn; k x; k vd %&~~

परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- (ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj .k 01 :— यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

mnkgj .k 02 :— यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना

निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \text{ rounded off to } 142.00$$

mnkgj . k 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \text{ rounded off to } 192.00$$

ukV % | Hkh x.kuk dks n'keyo ds nks vdk; rd jkmMvN fd; k tk; skA

### 3-13 i t ui fLrdk ds i t uks ds | c;k e; vH; konu %&

- (i) प्रश्न—पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.12 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न—पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ—साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

### 3-14 vufpr | k/kU %Unfair means, UFM% %&

निम्नलिखित में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की संलिप्तता होने पर अथवा दोषी पाये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनुचित साधन (%Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM)% के अंतर्गत मान्य करते हुये समाप्त कर दी जायेगी।

- (i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला—बदली करना।
- (vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

- (ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
- (x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
- (xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
- (xii) पर्यवेक्षक / केन्द्र अधीक्षक / वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा ।
- (xiii) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।
- (xiv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मण्डल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके ।
- (xv) परीक्षार्थियों द्वारा ओ०एम०आर० उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ०एम०आर० उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ०एम०आर० उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू०एफ०एम० समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू०एफ०एम० मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी ।
- (xvi) परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू०एफ०एम० मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी ।
- (xvii) आवेदक द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर शीट में पेसिंल से उत्तर अंकित किये जाने पर यू०एफ०एम. प्रकरण मान्य करते हुये संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी ।
- (xviii) उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

### 3-15 i j h{kk i f} .kke dk i d{k'ku %&

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध कराया जावेगा।

### 3-16 i j h{kk i f} .kke %&

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

### 3-17 i kQ{ kuy , Xtkfeus k ckM] Hkkj ky ds dk; l , o a nkf; Ro %&

- (i) प्रवेश/भर्ती/पात्रता परीक्षाओं का संचालन एवं उनका परिणाम घोषित किये जाने तक सीमित है। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई परीक्षा परिणाम सूची के आधार पर प्रवेश/नियुक्ति/चयन का कार्य संबंधित विभाग का रहेगा।
- (ii) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (iii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

### 3-18 U; kf; d {ks=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

3-19 v̄k̄ykb̄l̄ v̄konu&i = ds | kfk | ayu fd; s tkus okys nLrkost k̄ dk fooj . k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र i k: i &03 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (v) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

3-20 v̄k̄ykb̄l̄ v̄konu i = ds | kfk QksVks , oagLrk{kj | ayu djus | cdkh fun‡ k%&

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र i k: i &03 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ v̄konu Hkj us dh frffk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksQ ij f[kpokus dh fnukad o vkonnd ds uke dk Li "VmYysfk gkuk pkfg; A
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग / चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

### 3-21 , e-i h- vkluykbLu fd; kld ds ek/; e I s vkonu Qkez Hkj us dh fof/k %&

- (i) ऐम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जावेगा।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही—सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन—पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकेगा।

### 3-22 vkluykbLu vkonu Hkj us ds I cik es funk %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) i gpk i = ds ehuw es ernkrk i gpk i =] i udkM] vkkj dkm] M; fo x yk; l s ] vdl ph e; Qk\kxtQ] cd i kl cp e; Qk\kxtQ rFkk i kl i kVz dk i ko/kku j [kk x; k gA
- (iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dku l k gS bl dh tkudkj h vfrfjDr l g&vkbMh ds : i es i nku djuh gkxhA
- (iv) vkon dks vkonu i = es 'kj h ds LFkk; h fpUg rFkk ijh{k ds I e; i Lr r fd; s tkus okys Qk\k gpk i = dk fooj .k rFkk Øekd vfuok; l : i I s vfdr fd; k tkuk gkxhA buds vHkko es vkonu i = Lohdkj ugh gkxhA

- (v) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

### 3-23 व्यक्तिगत आवेदन की प्रक्रिया

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी.आनलाईन की [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेबसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती—बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की बेबसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके।

### 3-24 व्यावसायिक परीक्षा का आवेदन

व्यावसायिक परीक्षा का आवेदन कैसे किया जाता है?

- (i) आवेदक बेबसाईट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** लिंक कर **Vyapam** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **Instructions** तथा परीक्षा **Examination Rules** उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही—सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन—पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु स्पदा के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तालिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन—पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन—पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन—पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :—

१। भुगतान करने के लिए इनपुट डिटेल्स दें।

२। अपने खाते को बंद करें।

### 3-25 भुगतान करने के लिए इनपुट डिटेल्स दें।

- (i) आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

### 3-26 अपने खाते को बंद करें।

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

### 3-27 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन—पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

### 3-28 उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:—
  - १। उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन—पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3-29 , d | s vf/kd vkllykblu vkonu&i = Hkj us | ckh funsk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन—पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं? यदि आवेदक द्वारा “हॉ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन—पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन—पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई—मेल आई.डी. पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन—पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

3-30 *vklykblu vkonu&i = dk fujLrhdj .k %&*

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी रैफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3-31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3-32 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3-33 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17 / 2014 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3-34 *cʃk] l gkfj ; k , oa Hkkfj ; k tutkfr; k ds vH; ffkz k ds fy, vkonu cfØ; k % &*

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796 / 982 / 2012 / आप्र / एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु fu/kkfjr l; ure 'kʃkf.kd vgirk को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु I cf/kr foHkkx को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।

(ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी।

- (iii) व्यापम द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।
- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा ।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा ।
- (vi) तदुपरांत व्यापम द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

### 3-35 i .kuk@i ; kdu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान मण्डल नियमों में नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3-36 vkonu i = Hkj us dh | e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
26.01.2016	24.02.2016	30	26.01.2016	29.02.2016	35

3-37 vkuykbLu ijh{kk dk fooj.k

स.क्रं.	परीक्षा प्रश्नपत्र	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	एक	20.03.2016	रविवार	03 घंटे	प्रातः 09:00 से 12:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को काला करना होगा।

3-38 (i) ijh{kk 'kVd %&

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01-	, d	500/-	250/-	250/-	70@&	fujd

(ii) I dkku fd; s tkus ij ns 'kVd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	, d	100/-	50/-

3-39 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

vkuykbLu ijh{kk dñu		
1. भोपाल	2. ग्वालियर	3. रायसेन
4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. उज्जैन
7. रतलाम	8. मंदसौर	9. मुरैना
10. खण्डवा	11. खरगोन	12. सतना
13. सीधी	14. रीवा	15. सागर
16. बालाघाट	17. छतरपुर	18. छिन्दवाड़ा

3-40

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) व्यापम की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) व्यापम कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) व्यापम की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश—पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त /जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई—आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

**v/; k; & 04**  
**i j h{kk dk i kB; Øe**  
**Vi j h{kk ei døy , d i t u i = j gøkA½**

क्र. खण्ड	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र		वेबसाईट (पाठ्यक्रम उपलब्ध होगे)	अंक
		का स्तर	के विषयों का विवरण		
01	अ	हायर सेकेण्डरी (10+2)	1. सामान्य ज्ञान	निरंक	100
			2. सामान्य हिन्दी		
			3. सामान्य अंग्रेजी		
			4. सामान्य गणित		
			5. सामान्य तार्किक योग्यता		
			6. सामान्य विज्ञान		
			7. सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान		
02	ब	स्नातकोत्तर	1. वाणिज्य	www.mphighereducation.nic.in www.highereducation.mp.gov.in and www.ugc.ac.in	100
			2. साहियकीय		
			3. अर्थशास्त्र		
			4. समाज शास्त्र		
			5. गणित		
			6. अकार्बनिक रसायन शास्त्र		
			7. विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र		
			8. प्राचीन भारतीय इतिहास		
			9. डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी		
			10. रसायन शास्त्र		
			11. भौतिक शास्त्र		
			12. नगरीय भूगोल		
			13. हिन्दी		
			14. अंग्रेजी		
			15. एम.कॉम		
			16. एम.लिब		
			17. एम.बी.ए.		
			18. डेमोग्राफी		
			19. पोस्ट ग्रेज्यूट डिप्लोमा इन विजनेस मैनेजमेंट	www.jnkvv.nic.in	100
			20. प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति		
			21. भारतीय इतिहास (आधुनिक या मध्यकालीन)		
			22. किसी भी विषय में स्नातकोत्तर		
			23. एम.ए.		
			24. कृषि – प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जेनेटिक्स		
			25. कृषि – एग्रोनामी		
			26. कृषि – पादप कार्यिकी		
			27. कृषि – प्लांट पैथेलॉजी		
			28. सी.ए.		
<i>i t u i = ds døy vd</i>					200

उक्त

- प्रश्न पत्र में दो भाग खण्ड – अ तथा खण्ड – ब रहेगे ।
- खण्ड – अ सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य रहेगा ।
- खण्ड – ब अभ्यर्थी द्वारा चयनित होगा ।
- अभ्यर्थी द्वारा खण्ड – ब के लिये उपरोक्त में से जिस विषय का चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये किया जा रहा है, अभ्यर्थी उस विषय के चयन के पूर्व संबंधित पदों की शैक्षणिक अर्हताओं का अध्ययन, पात्रता के दृष्टिकोण से आवश्यक रूप से करें ।
- स.क्र. 22 – किसी भी विषय में स्नातकोत्तर तथा स.क्र. 23 – एम.ए., शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में जिस विषय का चयन करते हुये बैठना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है ।
- खण्ड – ब में उल्लेखित स्नातकोत्तर स्तर के चयनित विषय का पाठ्यक्रम अभ्यर्थी उनके नाम के समक्ष अंकित वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं ।

i t u&i fLrdk ds i t uks ds I cik es vH; konu

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

yukV&amp; ; g i i = doy ij h{k{kFkhZ }kj k gh Hkj dj fu/kkFj r I e; kof/k rd

e.My dk; kly; e mi yC/k djkus i j fopkj {ks= e fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न—पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :—

I 000	i t u Øekd	=fV dk fooj.k	I k{; ds : i e i Lrj nLrkost dk fooj.k	I ayXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

## vkn' kZ mRrjk s i j vki fRr gsrq vH; konu

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

1/ukV& ; g i i = døy i j h{kFkhZ }kj k gh Hkj dj fu/kkFj r l e; kof/k rd e. My  
dk; kly; e mi yC/k djkus i j fopkj {ks= e fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक ..... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

I -Ø-	mRrj Øekd	vkn' kZ dñt h e i nf' kñ mRrj	vH; FkhZ ds vud kj mRrj	mRrj ds l eFkñ e i Lrñ nLrkost dk fooj .k	I gyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान ..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... आवेदक का नाम.....

# Professional Examination Board

## प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

### Predefined Template

#### फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ  
चिपकाये

4" x 5" cm photo  
paste here

Box-1

#### हस्ताक्षर / Signature

Box-2

#### निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

#### निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो छिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

#### स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर दङ्गठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

#### अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

#### स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

e;/ i n's k ds vlfne tutkfr I epl; t9 &cikk] I gkfj;k ,oa Hkkfj;k tutkfr  
ds vH; fFk;k gsrq vkonu i = dk ik: i

i jh{kk dk uke%& I gk; d cht cek.khdj.k vf/kdkjh] I gk; d I kf[; dh; vf/kdkjh ,oa vH; I ed{k i nka  
%& I epl; ds vrxi;r Lukrdkjkj Lrj % gsrq I a Dr HkrhZ i jh{kk&2016

i n dk uke%-----

1. आवेदक का नाम :— .....
2. पिता का नाम :— .....
3. माता का नाम :— .....
4. लिंग(पुरुष / महिला) :— .....
5. जन्मतिथि :— .....
6. आदिम जनजाति का नाम :— .....
7. वर्ग (विकलांग / भूतपूर्व सैनिक) :— .....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :— .....
9. काय अनुभव का विवरण :— .....
10. विशेष / अन्य विवरण :— .....

आवेदक का  
नवीनतम  
पासपोर्ट आकार  
का फोटोग्राफ  
संलग्न करे

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर	:—.....
दिनांक	:—.....
निवास का पता	:—.....
	.....
मोबाइल / दूरभाष नं.	:—.....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रः—

1. वांछित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
2. म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्रः—  
I gkfj;k vlfne tutkfr— जिला—श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

cikk vlfne tutkfr & जिला—मण्डला, डिणडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

Hkkfj;k vlfne tutkfr — जिला—छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

4. होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक / भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र ।

Hkoxrku i klr djus ds fy; s Lo; adscd [kkrs dk fooj .k

1. परीक्षा का नाम : .....
2. परीक्षा की तिथि / पॉली / समय : .....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : .....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में)  
(जैसा बैंक खाते में है) : .....
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : .....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : .....
7. बैंक का नाम : .....
8. बैंक शाखा का नाम : .....
9. बैंक का IFS Code : .....
10. बैंक खाता क्रमांक : .....
11. परीक्षार्थी का गृह जिला : .....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : .....
13. यात्रा का प्रकार : .....
14. यात्रा व्यय की राशि : .....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता